न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 114 / 2020

केवल कृष्ण उर्फ केलाराम पुत्र राजाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

अप्रार्थी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट</u>

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी
2 राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 29.1.21

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का नाम केवल कृष्ण पुत्र श्री राजाराम जाति कुम्हार लालगढ जाटान है जो कि सही नाम है व प्रार्थी अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सही अंकित है परंतु जमाबंदी चक 4 एलएलजी सवंत् 2073–2076 की खाता संख्या 42/32 में प्रार्थी का नाम केलाराम अंकित है। जिससे प्रार्थी को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। प्रार्थी की कृषि भूमि चक 4 एलएलजी जमाबंदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या 42/32 प0न0 30/159 मु0न0 14 कि0न0 13 ता 25 में 3.289 है0 नहरी प0न0 30/160 मु0न0 26 कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2,, 5/1, 5/2, 6/1, 6/3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 4.150 है0 नहरी, 0.151 है0 खाला, 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता , प0न0 31/159 मु0न0 13 कि0न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21 में 1.240 है0 नहरी 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता कुल खाता 8.981 है0 नहरी गै0मु0 रास्ता खाला आराजी में से प्रार्थी के नाम 1.497 है0 आराजी दर्ज कागजात माल है एवं उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम " केलाराम पुत्र राजाराम अकवाम कुम्हार (प्रजापति) साकिन लालगढ जाटान" दर्ज है जबकि प्रार्थी का उक्त खाता की आराजी में सही नाम व केवल कृष्ण पुत्र राजाराम अकवाम कुम्हार साकिन लालगढ जाटान दर्ज होना चाहिए नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम केवल कृष्ण पुत्र राजाराम अकवाम कुम्हार साकिन लालगढ जाटान दर्ज है जबकि जमाबंदी में प्राथी का नाम गलत दर्ज हो गया है। केलाराम व केवलकृष्ण एक ही व्यक्ति के नाम है। केलाराम व केवल कृष्ण अलग अलग व्यक्ति नही है इस संबंध में ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पेश की जा रही है। प्रार्थी का नाम शीर्षक में दर्जानुसार होने के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रार्थी के आधार कार्ड , राशनकार्ड, वोटर कार्ड में भी प्रार्थी का नाम शीर्षक के दर्जानुसार सही है। फोटोप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लालगढ जाटान आधार कार्ड वोटर कार्ड संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अलग दर्ज होने के कारण प्रार्थी को पानी की बारी,

Scanned with CamScanner

एकस आदयगी, बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी अपने नाम दर्ज चक 4 एलएलजी जमबांदी संवत 2073–2076 की खाता संख्या 42/32 प0न0 30/159 मु0न0 14 कि0न0 13 ता 25 में 3.289 है0 नहरी प0न0 30/160 मु0न0 26 कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 4.150 है0 नहरी, 0.151 है0 खाला, 0.025 है0 रास्ता प0न0 31/159 मु0न0 13 कि0न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21 में 1.240 है0 नहरी 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता कुल खाता 8.981 है0 नहरी गै0मु0 रास्ता खाला आराजी मे से प्रार्थी के नाम 1.497 है0 आराजी में दर्ज केलाराम पुत्र राजाराम अकवाम कुम्हार प्रजापति साकिन लालगढ जाटान के स्थान पर केवलकृष्ण पुत्र राजाराम अकवाम कुम्हार साकिन लालगढ जाटान दर्ज करवाने का कानूनन हक अधिकारी है जिसे न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त जमाबंदी में प्रार्थी का नाम भूलवश दर्ज हुआ है। चूंकि उक्त आराजी प्रार्थी को विरासतन प्राप्त हुई एवं प्रार्थी का नाम केलाराम प्रचलित होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा हुये सहवनवश राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज कर दिया गया था। इसमें किसी प्रकार की फर्जकारी नही की गयी है और न ही कोई अनुचित लाभ उठाने के लिए इन्द्राज करवाया गया है। प्रार्थी कतई स्वच्छहस्त है एवं अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सभी दस्तावेजो साक्ष्य मय शपथ पत्र पेश कर रहे है। जिनके झूठ होने का कोई अंदेशा नही है। उक्त गलत इन्द्राज का प्रार्थी को पूर्व में इल्म नही था लेकिन अब कृषि विद्युत कनैक्शन लेने हेतु पटवारी हल्का से जमाबंदी नक्शा लेने के लिए सम्पर्क किया तो उसने बताया कि राजस्व रिकार्ड में नाम गलत है इसे दुरूस्त करवाओ तो प्रार्थी नकल लेकर दिनांक 14.09.2020 को तहसीलदार राजस्व सादुलशहर के समक्ष पेश हुआ और प्रार्थी ने रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु आवेदन किया तो उन्होंने यह कहते हुये इंकार कर दिया कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तो ही दुरूस्त करेगें। बस यही बिनाये प्रार्थना पत्र है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धरा 136 एलआरएक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज चक 4 एलएलजी जमाबंदी संवत् 2073–2076 की खाता संख्या 42/32 प0न0 30/159 मु0न0 14 कि0न0 13 ता 25 में 3.289 है0 नहरी प0न0 30/160 मु0न0 26 कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 4.150 है0 नहरी, 0.151 है0 खाला, 0.025 है0 रास्ता , प0न0 31/50 मु0न0 13 कि0न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21 में 1.240 है0 नहरी 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता कुल 8.981 है0 नहरी गै0मु0 रास्ता खाला आराजी में से प्रार्थी के नाम 1.497 है0 आराजी में प्रार्थी के नाम को दुरूस्त किया जाकर " केलाराम पुत्र राजाराम अकवाम कुम्हार (प्रजापति) साकिन लालगढ जाटान" के स्थान पर "केवल कृष्ण पुत्र राजाराम अकवाम कुम्हार साकिन लालगढ जाटान" दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश हुयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किंये जाने का निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का वास्तव मे नाम केवल कृष्ण पुत्र राजाराम जाति कुम्हार साकिन लालगढ

अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

जाटान है। परंतु प्रार्थी के नाम दर्ज चक 4 एलएलजी जमाबंदी संवत् 2073–2076 की खाता संख्या 42/32 प0न0 30/159 मु0न0 14 कि0न0 13 ता 25 में 3.289 है0 नहरी प0न0 30/160 मु0न0 26 कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 4.150 है0 नहरी, 0.151 है0 खाला, 0.025 है0 रास्ता , प0न0 31/50 मु0न0 13 कि0न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21 में 1.240 है0 नहरी 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता कुल 8.981 है0 नहरी गै0मु0 रास्ता खाला आराजी में से प्रार्थी के नाम 1.497 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम " केलाराम पुत्र राजाराम अकवाम कुम्हार (प्रजापति) साकिन लालगढ जाटान"है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाकर सही करवाना चाहता है। सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ जाटान व तहसीलदार रिपोर्ट में तस्दीक किया गया है कि केलाराम पुत्र रजाराम व केवल कृष्ण पुत्र राजाराम एक ही व्यवित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, में प्रार्थी का नाम केवल कृष्ण पुत्र राजाराम अंकित है जिस आधार पर प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किये है एवं मुताबिक दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 4 एलएलजी जमाबंदी संवत् 2073–2076 की खाता संख्या 42/32 प0न0 30/159 मु0न0 14 कि0न0 13 ता 25 में 3.289 है0 नहरी प0न0 30/160 मु0न0 26 कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 4.150 है0 नहरी, 0.151 है0 खाला, 0.025 है0 रास्ता , प0न0 31/50 मु0न0 13 कि0न0 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21 में 1.240 है0 नहरी 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता कुल 8.981 है0 नहरी गै0मु0 रास्ता खाला आराजी में से प्रार्थी के नाम 1.497 है0 आराजी में प्रार्थी के नाम को दुरूस्त किया जाकर **" केलाराम पुत्र राजाराम अकवाम कुम्हार (प्रजापति) साकिन लालगढ जाटान"** के स्थान पर **"केवल कृष्ण पुत्र राजाराम अकवाम कुम्हार(प्रजापति) साकिन लालगढ जाटान"** किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.1.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.1.21

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर